



झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

20 चैत्र, 1942 (श०)

संख्या- 252 राँची, गुरुवार,

9 अप्रैल, 2020 (ई०)

खाद्य, सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग

अधिसूचना

17 मार्च, 2020

संख्या - खा.प्र. 04/खाद्या. भण्डा.-25/2007 - 727,-- उपभोक्ता मामले विभाग, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय, भारत सरकार के D.O. No.-S-10/3/2017-ECR&E, नई दिल्ली, दिनांक 29.09.2019, D.O. No.-S-10/2017-ECR&EO, नई दिल्ली, दिनांक 09.12.2019, D.O. No.-S-10/2017-ECR&E, नई दिल्ली, दिनांक 04.12.2019 के आलोक में पूर्व में निर्गत विभागीय पत्रांक 3415, दिनांक 05.12.2019, पत्रांक 3463, दिनांक 10.12.2019 एवं पत्रांक 3414, दिनांक 05.12.2019, पत्रांक 3359, दिनांक 26.11.2019, पत्रांक 2903, दिनांक 30.09.2019 के द्वारा विनिर्दिष्ट खाद्य पदार्थों से (अनुज्ञापन संबंधी अपेक्षाएँ, स्टॉक सीमा और संचलन निर्बंधन) हटाना आदेश, 2016 में

क्रय, संचलन, विक्रय, प्रदत्त, वितरण या भण्डारण के बाबत प्रयुक्त शब्दों और पदों को वस्तु अर्थात् प्याज के संबंध में भारत सरकार के आदेश संख्या- फा. सं.- एस- 10/3/2017-ईसीआर एण्ड ई, दिनांक 27.02.2020 के आलोक में प्याज के स्टॉक सीमा को अगले आदेश तक के लिए समाप्त किया जाता है। तदनुसार पूर्व में निर्गत उपरोक्त विभागीय पत्रांकों को इस हद तक संशोधित समझा जाय।

ह0/-

थॉमस डुंगडुंग,

सरकार के संयुक्त सचिव।
